न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का परबतसर

बनाम

अप्रार्थी :– श्री रतनलाल पुत्र रामलाल माली निवासी परबतसर

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 89 / 17

निर्णय दिनांक 20 / 11 / 2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का परबतसर ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद परबतसर के खसरा नम्बर 1004 किस्म गै.मु.पहाड़ में रकबा 0.1650है. भूमि में बाड़ लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वंय से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी का पुत्र दिनांक 17.11.2017 को उपुस्थित हुआ। अपना लिखित जबाब प्रस्तुत नंही किया गया। पीठासीन अधिकारी दौरे पर होने से पुन तारिख पेशि 20.11. 2017 दी गई थी जिसमें अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। अतः अप्रार्थी के विरूद एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मौजा परबतसर के खसरा नम्बर 1004 किस्म पहाड़ में रकबा 0.1650 है भूमि पर अतिक्रमण किया है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति बिघा की दर से अतिक्रमित रकबा 0.90 है. भूमि के 5 रूपये लगान का 50 गुणा 250/– अक्षरे दो सौ पचास रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

2017-18 ... के पृष्ठ सं. 1 ... 2501 ... क्र० को

तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार परबतसर